कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2021/ 938-50 दिनांक :- 6 /08/2021

निमित्त :-

आकांक्षा इन्फ्रा हाउसिंग प्रोजेक्ट,
2-फ-26, विज्ञान नगर
कोटा।

विषय :- भूखण्ड सं0 6 विवेकानन्द नगर, कोटा, क्षेत्रफल 6586 वर्गमीटर (नेट क्षेत्रफल 6256.70 वर्गमीटर) की भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 3-A के अन्तर्गत परियोजना रिपोर्ट एवं मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. एवं भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्रों के परीक्षण उपरांत प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्थानीय परियोजना अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18/06/2021 में लिये गए निर्णय के क्रम में मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के साथ डी.पी.आर. मय भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाते हैं। भूखण्ड का अन्य उपयोग किये जाने अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी, एवं कोई छूट देय नहीं होगी।

1. स्थानीय परियोजना अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18/06/2021 में किये गये निर्णय के क्रम में निम्नानुसार पालना की जानी होगी।

   (A) *मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अध्याय-3 के बिन्दु सं0 10 अनुसार Quality Control Laboratory स्थापित की जानी होगी एवं गुणवत्ता की जांच हेतु थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन करवाना होगा।*

   (B) *डी.पी.आर. में निर्धारित तकनीकी मानदण्डों की पालना की जानी होगी एवं गुणवत्ता सुनिश्चित् की जानी होगी।*

   (C) *प्रोजेक्ट को निर्धारित समयावधि (5 वर्ष) में पूर्ण करना होगा। बिलम्ब की स्थिति में मुख्यमंत्री जन आवास योजना एवं अन्य प्रावधानों अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।*

   (D) *राज्य सरकार के आदेश दिनांक 1/9/16 के प्रावधान अनुसार एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी प्रक्रिया की पालना कर EWS/LIG फ्लेट्स के आवंटन की कार्यवाही की जानी होगी।*

   (E) *मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अध्याय-3 के बिन्दु सं0 11(f) के अनुसार प्रोजेक्ट का अनुरक्षण एवं Resident Welfare Society का गठन करना होगा।*

   (F) *राज्य सरकार के आदेश/परिपत्र दिनांक 3/4/17 एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान अनुसार निर्धारित अवधि एवं प्रक्रियाअनुसार EWS/LIG आवासीय इकाईयों का आवंटन करना होगा।*

   (G) *मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानों एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जानी होगी।*

2. यह स्वीकृति मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 एवं भवन विनियम 2020 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अध्याधीन रहेगी तथा इसके प्रावधानों से सुसंगत होने की सीमा तक ही मान्य रहेगी।
3. आवेदक को जारी किये गए आवंटन-पत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार सम्पूर्ण राशि जमा कराई जाकर लीज डीड जारी करने के पश्चात ही उक्त निर्माण स्वीकृति मान्य होगी।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 एवं भवन विनियम 2020 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की रहेगी। स्वीकृति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, भूल एवं लोप को विनियम के प्रावधानों में छूट के रूप में नहीं लिया जा सकेगा। विनियम एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्माण कराने का दायित्व अनुज्ञाधारी का रहेगा। भवन निर्माण स्वीकृति नगर नियोजन शाखा द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने पर प्रस्तावानुसार हुई है तथापि यदि स्वीकृति में विनियम एवम् अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अनुसार कोई त्रुटि, भूल एवं लोप है, तो भवन निर्माण अनुज्ञाधारी का दायित्व रहेगा कि उस बारे में न्यास कार्यालय का ध्यान आकर्षित करे। त्रुटि, भूल एवं लोप के आधार पर निर्माण मान्य नहीं होगा।
5. प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार B+S1+S2+19 मंजिले (अधिकतम 59.4375 मीटर ऊंचाई तक) मंजिल की स्वीकृति चाही गई है। स्थानीय परियोजना अनुमोदन समिति के निर्णय अनुसार इस समय B+S1+S2+8 मंजिले व 28.50 मी. ऊंचाई में (अधिकतम 30 मीटर तक की) स्वीकृति मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 एवं भवन विनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों से सुसंगत होने की सीमा तक ही जारी की जा रही है। इससे ऊपर की मंजिलों की स्वीकृति राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् जारी की जावेगी।

6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 एवं भवन विनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के विरूद्ध निर्माण किये जाने पर "राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 91 के अन्तर्गत अवैध निर्माण को न्यास द्वारा ध्वस्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी तथा उक्त कार्यवाही पर किया गया समस्त व्यय आपको ही वहन करना होगा।
7. पार्किंग सम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था मानचित्र में दर्शाये अनुसार की जानी होगी तथा आप द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र अनुसार पार्किंग क्षैत्र को अन्य उपयोग में नहीं लिया जावेगा।
8. पार्किंग, लिफ्ट इत्यादी सुविधा क्षैत्र के रख-रखाव की व्यवस्था आपको सुनिश्चित् करनी होगी।
9. पार्किंग क्षैत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा, न ही इसका बेचान किया जावेगा। इसे पार्किंग हेतु खुला रखा जावेगा। अन्यथा न्यास आपके खर्चे पर बिना पूर्व सूचना पार्किंग क्षैत्र में किये गए निर्माण को ध्वस्त करने के लिये स्वतंत्र होगा।
10. भवन निर्माण के स्ट्रक्चरल डिजाईन की जिम्मेदारी आपके द्वारा नियुक्त वास्तुविद् की होगी। निम्न हस्ताक्षरकर्ता/न्यास किसी भी स्थिति में इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा। निर्माण कार्य अधिकृत वास्तुविद्/अभियन्ता की देख-रेख में करवाया जाना होगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सम्बन्धित वास्तुविद् द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं दिये गए अण्डरटेकिंग के अनुसार भूकम्प से सुरक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्था की जानी होगी।
11. यह स्वीकृति भवन निर्माण के लिये दी जा रही है। किसी भी न्यायालय अथवा वाद में इसे भूखण्ड स्वामित्व साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।
12. निर्माण पश्चात् भवन को उपयोग में लेने से पूर्व नगर निगम से अग्निशमन की स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर न्यास से अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
13. मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूमिगत जलस्तर बढ़ाने हेतु रेनवाटर हारवेस्टिंग व्यवस्था का निर्माण आवश्यक रूप से किया जाना होगा।
14. अनुज्ञा प्राप्ति के उपरांत अनुज्ञाधारी को भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने के आशय की सूचना न्यास को देनी होगी।
15. प्लिन्थ लेवल पर निर्माण के पश्चात् न्यास को सूचित करना होगा। न्यास के वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा नियुक्त उप/सहायक नगर नियोजक द्वारा मौके पर निर्माण की जांच उपरान्त प्लिन्थ का निर्माण स्वीकृत मानचित्र एवं भवन विनियम 2020 एवं विधिक अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार पाये जाने पर पत्र जारी करने के उपरान्त आगामी निर्माण भवन विनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों अनुसार किया जा सकेगा।
16. यह स्वीकृति मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 एवं भवन विनियम 2020 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अध्याधीन रहेगी तथा इसके प्रावधानों से सुसंगत होने की सीमा तक ही मान्य रहेगी।
17. स्वीकृत मानचित्र में दर्शाये अनुसार वाणिज्यिक एवं इन्फोरमल कॉमर्शियल का प्रावधान रखना होगा।
18. पर्यावरण की दृष्टि से मानचित्र में दर्शाये अनुसार पेड़ लगाने होंगे। भूखण्ड पर प्रत्येक 100 वर्गमीटर क्षैत्र के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में 6 मीटर से अधिक उंचाई ग्रहण करने वाले वृक्ष लगाने होंगे एवं मानचित्र में दर्शाये अनुसार हरियाली क्षेत्र का आवश्यक रूप से विकास किया जाना होगा।
19. भवन की संरचना, डिजाईन नियमानुसार/विहित अनुसार भूकम्परोधी होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में स्ट्रक्चरल इन्जिनियर से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्ट्रक्चरल इन्जिनियर जिसके भूकम्परोधी प्रावधान हेतु घोषणां पत्र एवं रचनात्मक सुरक्षा हेतु घोषणां की गयी है, उसी इन्जिनियर से भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् यह शपथ पत्र लेकर प्रस्तुत करना होगा कि भवन का निर्माण भूकम्परोधी प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के पार्ट VI के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। उसके पश्चात् ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।
20. प्रस्तावित भवन में संरचनात्मक सुरक्षा के उपायों से संबंधित समस्त दस्तावेजों मय स्ट्रक्चरल डिजाईन मानचित्रों को राजकीय स्तर के संस्थानों यथा आईआईटी/एनआईटी/राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा विनियम 20 के अनुसार पंजीकृत तकनीकीविज्ञ से प्रमाणित करवाकर आवश्यक रूप से न्यास में प्रस्तुत की जानी होगी।
21. भवन में अपेक्षित सेवाओं यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवाऐं, वातानुकूल सेवाऐं आदि तथा भवन की स्ट्रेक्चरल डिजाईन से संबंधित मानचित्रों के दो सैंट जो की आवेदक, आर्किटेक्ट एवं इंजिनियर से प्रमाणित किये हुये हो न्यास को प्रस्तुत करने होंगे। उक्त मानचित्र बहुमंजिला भवनों में सक्षम अधिकारी से निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् तथा भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।
22. समय-समय पर राज्य सरकार/न्यास द्वारा जारी नियमों/आदेशों की पालना करनी होगी।
23. मानचित्र में दर्शाये गए अनुसार सौर उर्जा का प्रावधान किया जाना होगा।
24. आवेदक मोके पर विहित अनुसार सूचना प्रदर्शित करेगा एवं अभिलेख रखेगा तथा इस स्वीकृति पत्र की प्रति भी रखेगा।
25. सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रत्येक 30 फ्लेट्स/निवास इकाईयों अथवा उसके अंश पर 2 कचरापात्र का प्रावधान आवश्यक होगा, जिसमें एक पात्र 0.67 क्यूबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा 1.33 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा। इन्हें भूतल पर ऐसे स्थान पर रखा जावेगा जहाँ से सफाई कर्मचारी द्वारा आसानी से उठाया जा सके।

26. लेबर सैस, लेबर डिपार्टमेन्ट में विकासकर्ता स्वयं के स्तर पर जमा करावे तथा भवन के पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व लेबर सेस जमा का प्रमाण न्यास में प्रस्तुत करना होगा।
27. आवेदक/विकासकर्ता को Rajasthan Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 के अन्तर्गत बनाये गए Rajasthan Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017 के अन्तर्गत Real Estate Regulatory Authority, Rajasthan, Jaipur में उक्त प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा एवं उपरोक्त नियमों में वर्णित प्रावधानों की पालना की जानी होगी। अतः Real Estate Regulators Authority में रजिस्ट्रेशन करवाकर न्यास में प्रस्तुत करें। उक्त प्रोजेक्ट का RERA में रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत ही आवासों के विक्रय इत्यादि की कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त प्रोजेक्ट का Real Estate Regulators Authority में पंजीयन नहीं कराने व उपरोक्त नियमों में वर्णित प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में यह स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
28. नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.18(13) नविवि/जयपुर/2016/जयपुर दिनांक 04/04/19 की पालना की जानी होगी।

(राजेश जोशी)
सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2021/938-50 **दिनांक :- 6/08/2021**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति0मुख्य अभियंता, नगर विकास न्यास, कोटा।
2. उप सचिव I/II/III, नगर विकास न्यास, कोटा
3. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा
4. संयुक्त श्रम आयुक्त, कलेक्ट्रेट परिसर, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि सेस की राशि अपने विभाग स्तर पर वसूल किया जाना सुनिश्चित करें।
5. अधिशाषी अभियन्ता I/II/III/IV को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता को भी समय-समय पर जांच हेतु निर्देशित करे।
6. अधिशाषी अभियंता (आवास), नगर विकास न्यास, कोटा
7. उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा
8. लेखाधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा
9. सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा
10. तहसीलदार प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगर विकास न्यास, कोटा
11. वरिष्ठ विधि अधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा
12. ड्राईंग शाखा को रिकार्ड हेतु।

(महावीर सिंह मीना)
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

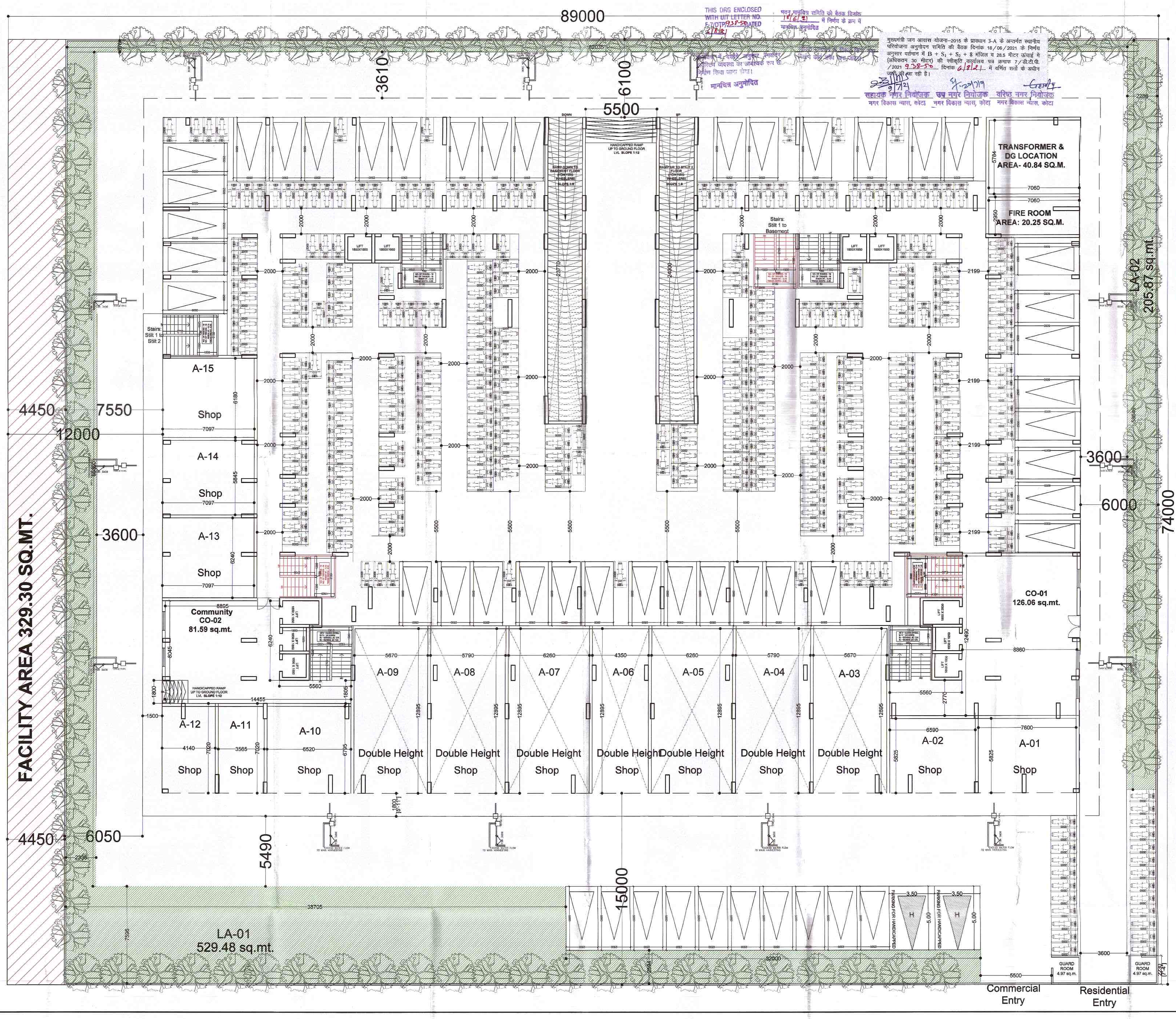

Stilt 1 Floor Plan

1 BLOCK AREA				
Total	= 3755.90 sq.mt.			

3 FIRE ESCAPE STAIRCASE				
FS1 =	4.30 X	3.15 X	3 =	40.64 sq.mt.
Total				40.64 sq.mt.

4 STAIRS				
S1 =	4.30 X	3.15 X	5 =	67.73 sq.mt.
Total				67.73 sq.mt.

5 LIFTS				
L1 =	1.85 X	1.85 X	8 =	27.38 sq.mt.
L2 =	2.80 X	1.85 X	2 =	10.36 sq.mt.
Total				37.74 sq.mt.

6 RAMP				
R1 =	2.68 X	24.00	=	64.32 sq.mt.
R2 =	2.68 X	24.00	=	64.32 sq.mt.
Total				128.64 sq.mt.

7 FIRE ROOM				
FR1 =	7.06 X	2.95 X	1 =	20.83 sq.mt.
Total				20.83 sq.mt.

8 DG Room & PANEL ROOMS				
DG 1 =	7.06 X	5.78 X	1 =	40.84 sq.mt.
Total				40.84 sq.mt.

9 COMMUNITY			
CO-1	=	=	126.06 sq.mt.
CO-4	=	=	81.59 sq.mt.
Total			207.65 sq.mt.

10 COMMERCIAL (A+B) = 823.77 sq.mt.						
COMMERCIAL A						
A-03	5.67	x	12.895	=	73.11	sq.mt.
A-04	5.79	x	12.895	=	74.66	sq.mt.
A-05	6.26	x	12.895	=	80.72	sq.mt.
A-06	4.35	x	12.895	=	56.09	sq.mt.
A-07	6.26	x	12.895	=	80.72	sq.mt.
A-08	5.79	x	12.895	=	74.66	sq.mt.
A-09	5.67	x	12.895	=	73.11	sq.mt.
TOTAL (A)					513.09	sq.mt.
COMMERCIAL B (LESS THAN 45.0 SQ.MT.)						
A-01	7.6	x	5.825	=	44.27	sq.mt.
A-02	6.59	x	5.825	=	38.39	sq.mt.
A-10	6.52	x	6.795	=	44.30	sq.mt.
A-11	3.565	x	7.02	=	25.03	sq.mt.
A-12	4.14	x	7.02	=	29.06	sq.mt.
A-13	6.24	x	7.097	=	44.29	sq.mt.
A-14	5.845	x	7.097		41.48	sq.mt.
A-15	6.18	x	7.097	=	43.86	sq.mt.
TOTAL (B)					310.68	sq.mt.

GROSS BUILT UP AREA (Gross BUA)
= Block Area - Cutout
= 3755.90 - 0.00
= 3755.90 sq.mt.

NET BUILT UP AREA
= Stairs + Lifts + Commercial + Fire Room+DG Room
= 67.73 + 37.74 + 823.77 + 20.83 + 40.84
= 990.90 sq.mt.

PARKING AREA
= Block Area - (Net BUA+Ramp+Fire Escape Stairs)
= 3755.90 - 990.90 - 128.64 - 40.64
= 3755.90 - 1160.17
= 2595.73 sq.mt.

STILT FLOOR AREA
= Gross BUA (Stilt Floor) - (Stairs+Lifts+Fire Escape)
= 3755.90 - 67.73 - 37.74 - 40.64
= 3755.90 - 146.10
= 3609.80 sq.mt.

Percentage BUA provided on Stilt Floor
= BUA on Stilt Floor / Stilt Floor Block Area
= 1160.17 / 3755.90
= 30.89

PERCENTAGE PARKING AREA PROVIDED
= {(Commercial + Community + Fire Room + DG) / Gross BUA} x 100.00
= 823.77 + 207.65 + 20.83 + 40.84 / 3755.90 x 100.00
= 1093.08 / 3755.90 x 100.00
= 0.291 x 100.00 = 29.10 %
= 100.00 - 29.10
= **70.90 %**

PARKING IN STILT 1 FLOOR	Nos.	ECU
Scooters	317.00	105.67
Cars	39.00	39.00

PARKING IN OPEN FLOOR	Nos.	ECU
Scooters	24.00	8.00
Cars	12.00	12.00

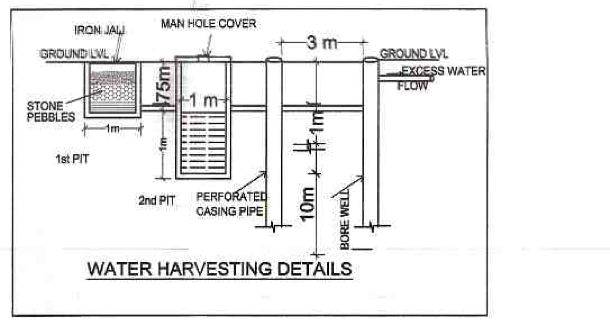

WATER HARVESTING DETAILS

Plot Area	6,586.00 Sq.mt.		
Area for Facility	329.3 Sq.mt.	5.00	
Net Plot area	6,256.70 Sq.mt.		

TREES CALCULATION
Required Trees
= Net Plot area / 80
= 6256.7 / 80
= 78 Trees
Provided Trees
= 90 Trees

WATER HARVESTING
Required Pits
= Net Plot area / 500
= 6256.7 / 500
= 13 Pits
Provided Pits
= 14 Pits

LANDSCAPE AREA
Required
Green Area on Open Ground = 10 % of Net Plot Area
= 625.67 sq.mt.
Green Area on Podium = 10 % of Net Plot Area
= 625.67 sq.mt.
Provided
Green Area in open LA-01 = 529.48 sq.mt.
LA-02 = 205.87 sq.mt.
Total = 735.35 sq.mt.
= 11.753 %
Green Area on Podium LA-03 = 745.57 sq.mt.
= 11.916 %

COMMERCIAL AREA CALCULATIONS		
S.No.	Floor Name	BUA
1	Stilt 1 Floor	823.77 sq.mt.
2	Stilt 2 Floor	356.01 sq.mt.
3	Total	1179.78 sq.mt.

COMMUNITY AREA CALCULATIONS		
S.No.	Floor Name	BUA
1	Stilt 1 Floor	207.65 sq.mt.
2	Stilt 2 Floor	325.68 sq.mt.
5	Total	533.33 sq.mt.

PARKING CALCULATIONS			
S.No.	Floor Name	2-Wheelers	Cars
1	Basement Floor	1018.00	0
2	Open Area	24.00	12.00
3	Stilt 1 Floor	317.00	39.00
4	Stilt 2 Floor	450.00	0
6	Total	1809.00	51

RESIDENTIAL BUILT UP AREA CALCULATIONS

S.no.	Floor Name	Gross BUA	Net BUA	LIG A	LIG B	EWS	Total Units
1	Basement Floor	4849.86	0.00	0	0	0	0
2	Stilt 1 Floor	3755.90	0.00	0	0	0	0
3	Stilt 2 Floor	3837.71	0.00	0	0	0	0
4	First Floor	3926.25	3159.88	10	22	18	50
5	Second Floor	2908.26	2632.54	10	22	18	50
6	Third Floor	2908.26	2632.54	10	22	18	50
7	Fourth Floor	2908.26	2632.54	10	22	18	50
8	Fifth Floor	2908.26	2632.54	10	22	18	50
9	Sixth Floor	2908.26	2632.54	10	22	18	50
10	Seventh Floor (Refuge Floor)	3236.29	2634.06	10	22	18	50
11	Eighth Floor	2908.26	2632.54	10	22	18	50
12	Ninth Floor	2908.26	2632.54	10	22	18	50
13	Tenth Floor	2908.26	2632.54	10	22	18	50
14	Eleventh Floor	2908.26	2632.54	10	22	18	50
15	Twelfth Floor (Refuge Floor)	3236.29	2634.06	10	22	18	50
16	Thirteenth Floor	2908.26	2632.54	10	22	18	50
17	Fourteenth Floor	2908.26	2632.54	10	22	18	50
18	Fifteenth Floor	2908.26	2632.54	10	22	18	50
19	Sixteenth Floor	2908.26	2632.54	10	22	18	50
20	Seventeeth Floor (Refuge Floor)	3236.29	2634.06	10	22	18	50
21	Eighteenth Floor	2908.26	2632.54	10	22	18	50
22	Nineteenth Floor	2908.26	2632.54	10	22	18	50
23	Terrace Floor	119.01	119.01	0	0	0	0
	Total	69321.42	50669.13	190.00	418.00	342.00	950.00

TOTAL ECU REQUIREMENT - AS PER NO. OF FLATS

RESIDENTIAL ECU REQUIREMENT
No. of EWS units = 342.00 Units
2-Wheelers Required = No. of EWS Units x 1
= 342.00 : 2-Wheelers
No. of LIG units = 608.00 Units
2-Wheelers Required = No. of LIG Units x 2
= 1,216.00 : 2-Wheelers
TOTAL 2-WHEELERS REQUIRED
= 1,558.00 : 2-Wheelers

COMMERCIAL ECU REQUIREMENT
Commercial = 1,179.78 Sq.mt.
ECU required = Commercial BUA / 75
= 15.73 ECU
Visitor's Parking = 25 % of ECU required
= 3.93 ECU
TOTAL ECU = 19.66 ECU
(COMMERCIAL) = 20 ECU

No. of Cars = 75 % of 20 = 14.75 ECU = 15 ECU
No. of Scooters = 25 % of 20 = 4.92 ECU = 4.92 x 3 = 14.75 = 15 Nos.

	REQUIRED NOS.	PROVIDED NOS.
	Total	Total
CARS	15	51
SCOOTERS	1,573	1,809

FLATS CALCULATION					
LIG A	190	608	Units	64	%
LIG B	418				
EWS	342	342	Units	36	%
Total		950	Units	100	%

SERVICES IN OPEN AREA			
Guard Room 1	=	2.23 X 2.23 =	4.97 sq.mt.
Guard Room 2	=	2.23 X 2.23 =	4.97 sq.mt.
Total			9.95 sq.mt.

	Permissible		Provided	
Community	1.0 % Of Net Built Up Area (Min.)	522.51 Sq.mt.	533.33 Sq.mt.	1.02 % Of Net Built Up Area
Commercial (A+B+C)	5.0 % Of Net Built Up Area (Max.)	2612.53 Sq.mt.	1,179.78 Sq.mt.	2.26 % Of Net Built Up Area

BUILT UP AREA RATIO
BAR Available (Area) = 6.75 X Plot Area
= 6.75 X 6,586.00
= 44455.5 sq.mt.
Achieved BAR = NET BUA
= 50669.13 sq.mt.
Chargebale BAR = Achieved BAR - Available BAR
= 50669.13 - 44455.50
= 6213.63 sq.mt. = 0.94
BUILT UP AREA RATIO = Total NET BUA / Plot Area
= 50669.13 / 6,586.00
= 7.69

GROUND COVERAGE CALCULATIONS
= (Gross BUA of First Floor-Balcony Area) / Net Plot area
= 3159.88 - 248.63 / 6,256.70
= 2911.25 / 6,256.70
= 46.53 %

SHEET NO 01

TITLE:
SITE / STILT 1 FLOOR PLAN

DATE:
SCALE: 1:100
NORTH

PROJECT:
CMJAY 2015
(AFFORDABLE HOUSING FOR ALL)
(UNDER 3-A PROVISION)
Plot no-6, vivekanand nagar yojana, Kota

ARCHITECT:
B + D ARCHITECTS
278, VISHWAKARMA NAGAR MAHARANI FARM, DURGAPURA, JAIPUR-18
PH. NO. 9929990190

OWNER:
AKANSHA INFRA-HOUSING PROJECTS
For Akansha Infra Housing Projects
Partners

ARCHITECT:
SHYAM THAKKAR
CA/2005/35803

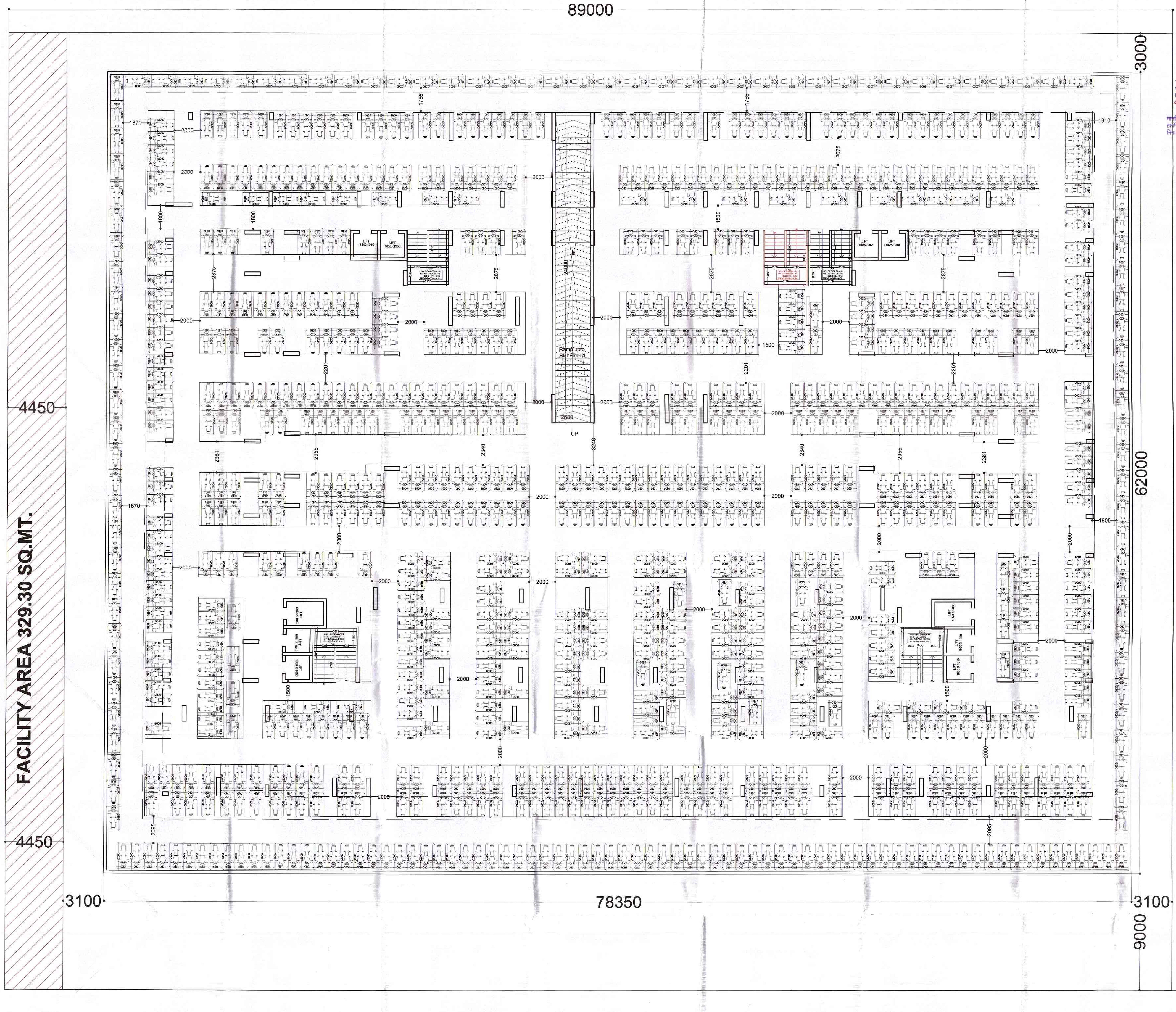

THIS DRG ENCLOSED WITH UIT LETTER NO. F-7/DTP/938-50 DATED 6/8/21

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 18/6/21 में निर्णय के क्रम में मानचित्र अनुमोदित

मानचित्र में दर्शाये अनुसार रैनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का आवश्यक रूप से निर्माण किया जाना होगा।

स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया गया निर्माण कार्य अवैध माना जावेगा।

मानचित्र अनुमोदित

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान 3-A के अन्तर्गत स्थानीय परियोजना अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18/06/2021 के निर्णय अनुसार वर्तमान में $B + S_1 + S_2$ + 8 मंजिल व 28.5 मीटर ऊंचाई में (अधिकतम 30 मीटर) की स्वीकृति कार्यालय पत्र क्रमाफ 7/डी.टी.पी./2021 938-50 दिनांक 6/8/21 में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जा रही है।

9/7/21
सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा | उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा | वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा

Basement Floor

1 BLOCK AREA					
Total	=	4849.86 sq.mt.			

2 FIRE ESCAPE STAIRCASE					
FS1	=	4.30 X	3.15 X	1 =	13.55 sq.mt.
Total					13.55 sq.mt.

3 STAIRS					
S1	=	4.30 X	3.15 X	4 =	54.18 sq.mt.
Total					54.18 sq.mt.

4 LIFTS					
L1	=	1.85 X	1.85 X	8 =	27.38 sq.mt.
L2	=	2.80 X	1.85 X	2 =	10.36 sq.mt.
Total					37.74 sq.mt.

5 RAMP					
R1	=	2.68 X	24.00 X	1 =	64.32 sq.mt.
Total					64.32 sq.mt.

GROSS BUILT UP AREA (Gross BUA)
= Block Area - Cutout
= 4849.86 - 0.00
= 4849.86 sq.mt.

PARKING AREA
= Block Area - (Stairs+Lifts+Ramp)
= 4849.86 - 54.18 - 37.74 - 64.32
= 4849.86 - 156.24
= 4693.62 sq.mt.

NET BUILT UP AREA
= Gross BUA - (Fire Escape Stairs+Parking)
= 4849.86 - 13.55 - 4693.62
= 4849.86 - 4707.17
= 142.70 sq.mt.

PARKING IN BASEMENT FLOOR		
	Nos.	ECU
Scooters	1018.00	339.33

SHEET NO 02

TITLE: **BASEMENT FLOOR PLAN**

DATE: | SCALE: 1:100 | NORTH

PROJECT:
CMJAY 2015
(AFFORDABLE HOUSING FOR ALL)
(UNDER 3-A PROVISION)
Plot no-6, vivekanand nagar yojana, Kota

ARCHITECT:
B + D ARCHITECTS
278, VISHWAKARMA NAGAR MAHARANI FARM, DURGAPURA, JAIPUR-18
PH. NO. 9929990190

OWNER:
AKANSHA INFRA-HOUSING PROJECTS
For Akansha Infra Housing Projects
Partners

ARCHITECT:
SHYAM THAKKAR
CA/2005/35803

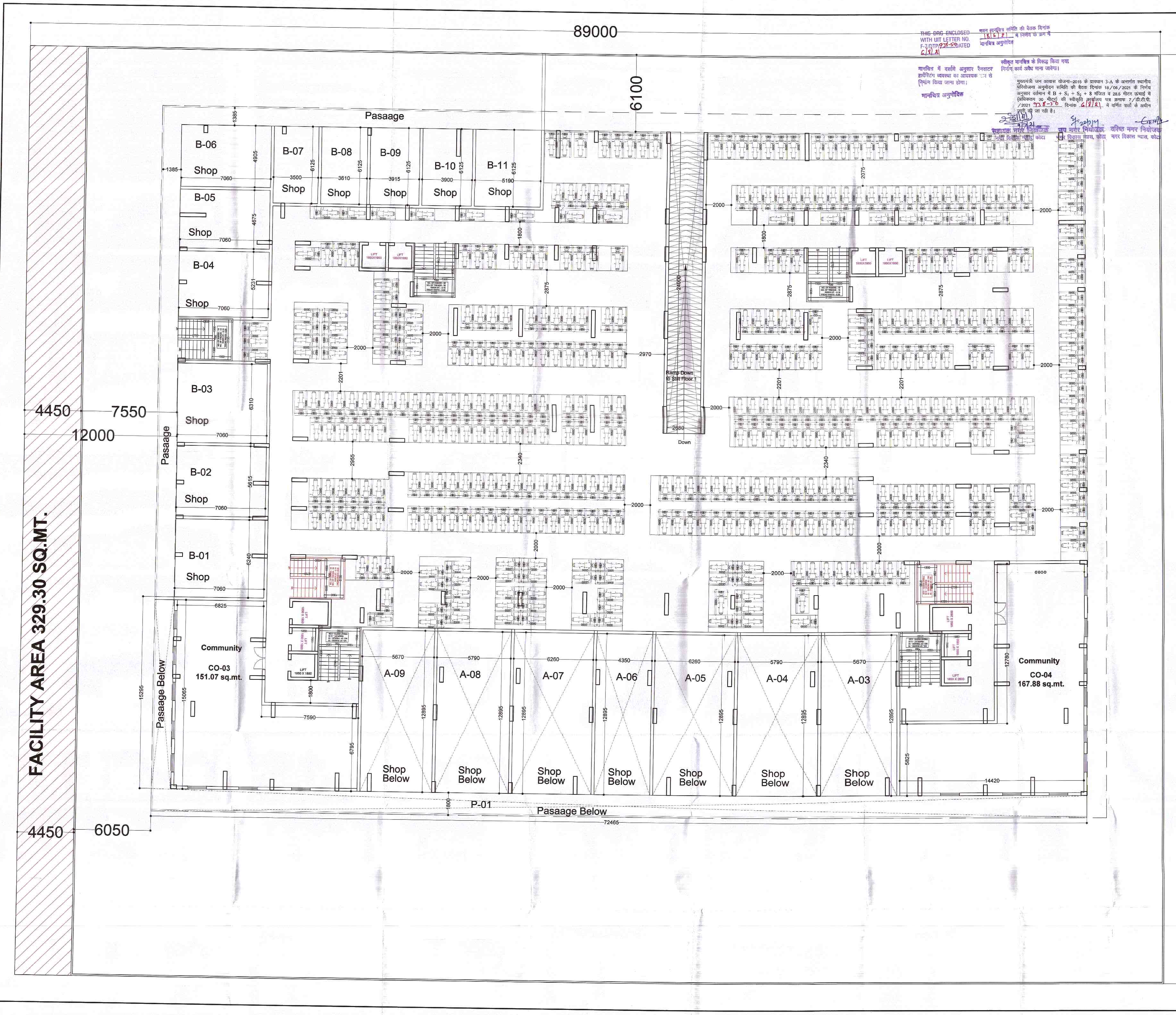

THIS DRG ENCLOSED WITH UIT LETTER NO. F-7/DTP/938-59 DATED 6/8/21

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 18/6/21 में निर्णय के क्रम में मानचित्र अनुमोदित

मानचित्र में दर्शाये अनुसार रैनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का आवश्यक रूप से निर्माण किया जाना होगा।

मानचित्र अनुमोदित

स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध किया गया निर्माण कार्य अवैध माना जावेगा।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान 3-A के अन्तर्गत स्थानीय परियोजना अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18/06/2021 के निर्णय अनुसार वर्तमान में B + S_1 + S_2 + 8 मंजिल व 28.5 मीटर ऊंचाई में (अधिकतम 30 मीटर) की स्वीकृति कार्यालय पत्र क्रमाक 7/डी.टी.पी. /2021 938-50 दिनांक 6/8/21 में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जा रही है।

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, कोटा — उप नगर नियोजक नगर विकास न्यास, कोटा — वरिष्ठ नगर नियोजक नगर विकास न्यास, कोटा

Stilt 2 Floor Plan

1 BLOCK AREA

Total = 4011.20 sq.mt.

2 FIRE ESCAPE STAIRCASE

FS1	=	4.30 X	3.15 X	2 =		27.09 sq.mt.
Total						27.09 sq.mt.

3 STAIRS

S1	=	4.30 X	3.15 X	4 =	54.18 sq.mt.
Total					54.18 sq.mt.

4 LIFTS

L1	=	1.85 X	1.85 X	8 =	27.38 sq.mt.
L2	=	2.80 X	1.85 X	2 =	10.36 sq.mt.
Total					37.74 sq.mt.

5 RAMP

R1 =	2.68 X	24.00	=	64.32 sq.mt.
Total				64.32 sq.mt.

6 COMMUNITY

CO-3	=	6.83 X	15.07	=	102.82 sq.mt.
	=	7.59 X	6.80	=	51.57 sq.mt.
CO-4	=	6.83 X	12.78	=	87.29 sq.mt.
	=	5.83 X	14.42	=	84.00 sq.mt.
Total					325.68 sq.mt.

7 DOUBLE HEIGHT				=	673.49	sq.mt.
A-03	5.67	x	12.895	=	73.11	sq.mt.
A-04	5.79	x	12.895	=	74.66	sq.mt.
A-05	6.26	x	12.895	=	80.72	sq.mt.
A-06	4.35	x	12.895	=	56.09	sq.mt.
A-07	6.26	x	12.895	=	80.72	sq.mt.
A-08	5.79	x	12.895	=	74.66	sq.mt.
A-09	5.67	x	12.895	=	73.11	sq.mt.
P-01	73.815	x	1.8	=	132.87	sq.mt.
P-02	15.295	x	1.8	=	27.53	sq.mt.
TOTAL					673.49	sq.mt.

8 COMMERCIAL (C) = 356.01 sq.mt.

COMMERCIAL C (LESS THAN 45.0 SQ.MT.)						
B-01	6.24	x	7.06	=	44.05	sq.mt.
B-02	5.615	x	7.06	=	39.64	sq.mt.
B-03	6.31	x	7.06	=	44.55	sq.mt.
B-04	5.231	x	7.06	=	36.93	sq.mt.
B-05	4.675	x	7.06	=	33.01	sq.mt.
B-06	4.905	x	7.06	=	34.63	sq.mt.
B-07	3.5	x	6.125	=	21.44	sq.mt.
B-08	3.61	x	6.125	=	22.11	sq.mt.
B-09	3.915	x	6.125	=	23.98	sq.mt.
B-10	3.9	x	6.125	=	23.89	sq.mt.
B-11	5.19	x	6.125	=	31.79	sq.mt.
TOTAL (B)					356.01	sq.mt.

GROSS BUILT UP AREA (Gross BUA)

= Block Area - Double Height
= 4011.20 - 673.49
= 3337.71 sq.mt.

NET BUILT UP AREA

= Stairs + Lifts + Commercial
= 54.18 + 37.74 + 356.01
= 447.93 sq.mt.

PERCENTAGE PARKING AREA PROVIDED

= {(Commercial + Community) / Gross BUA x 100.00
= 356.01 + 325.68 / 3337.71 x 100.00
= 681.69 / 3337.71 x 100.00
= 0.204 x 100.00 = 20.42 %

= 100.00 - 20.42
= **79.58 %**

PARKING IN STILT 2 FLOOR		
	Nos.	ECU
Scooters	450.00	150.00

SHEET NO 03

TITLE: **STILT 2 FLOOR PLAN**

DATE: | SCALE: 1:100 | NORTH

PROJECT: CMJAY 2015 (AFFORDABLE HOUSING FOR ALL) (UNDER 3-A PROVISION) Plot no-6, vivekanand nagar yojana, Kota

ARCHITECT: B + D ARCHITECTS, 278, VISHWAKARMA NAGAR MAHARANI FARM, DURGAPURA, JAIPUR-18, PH. NO. 9929990190

OWNER: AKANSHA INFRA-HOUSING PROJECTS

For Akansha Infra Housing Projects — Partners

ARCHITECT: SHYAM THAKKAR

THIS DRG ENCLOSED WITH UIT LETTER NO. F-7/DTP/938-50 DATED 6/8/21

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 18/6/21 में निर्णय के क्रम में मानचित्र अनुमोदित

मानचित्र में दर्शाये अनुसार रैनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का आवश्यक रूप से निर्माण किया जाना होगा।

स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध किया गया निर्माण कार्य अवैध माना जावेगा।

मानचित्र अनुमोदित

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान 3-A के अन्तर्गत स्थानीय परियोजना अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18/06/2021 के निर्णय अनुसार वर्तमान में B + S_1 + S_2 + 8 मंजिल व 28.5 मीटर ऊंचाई में (अधिकतम 30 मीटर) की स्वीकृति कार्यालय पत्र क्रमांक 7/डी.टी.पी./2021 938-50 दिनांक 6/8/21 में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जा रही है।

सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा | उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा | वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा

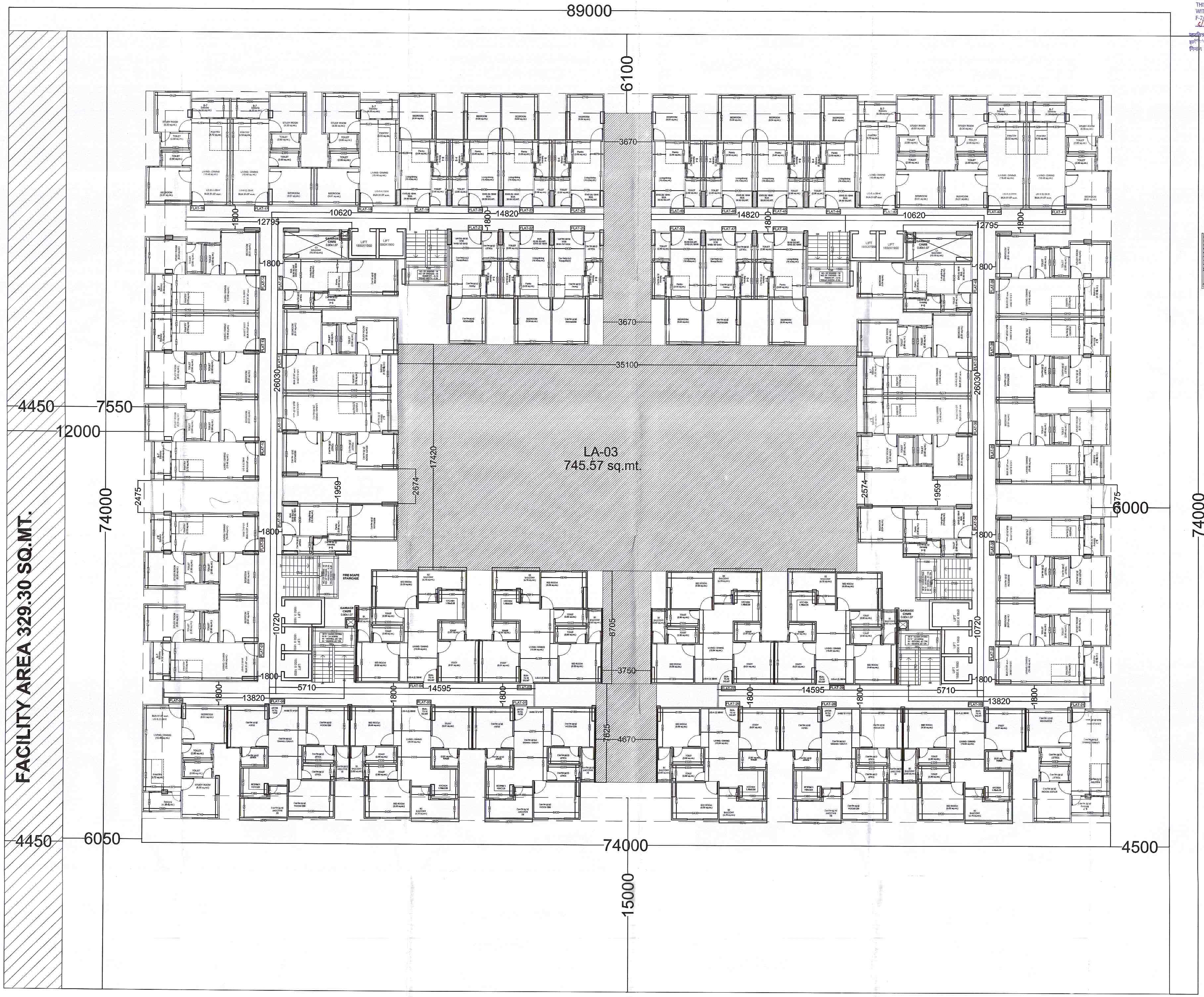

First Floor Plan

1 BLOCK AREA					
Total	=	3926.25 sq.mt.			

2 FIRE ESCAPE STAIRCASE					
FS1	=	4.30 X	3.15 X	2 =	27.09 sq.mt.
Total					27.09 sq.mt.

3 STAIRS					
S1	=	4.30 X	3.15 X	4 =	54.18 sq.mt.
Total					54.18 sq.mt.

4 LIFTS					
L1	=	1.85 X	1.85 X	8 =	27.38 sq.mt.
L2	=	2.80 X	1.85 X	2 =	10.36 sq.mt.
Total					37.74 sq.mt.

5 BALCONY					
B1	=	1.07 X	2.64 X	10 =	28.25 sq.mt.
B2	=		6.78 X	10 =	67.80 sq.mt.
B3	=	2.90 X	1.50 X	22 =	95.70 sq.mt.
B4	=		3.16 X	18 =	56.88 sq.mt.
Total					248.63 sq.mt.

6 CUT OUT					
C1	=	4.93 X	2.11 X	2 =	20.80 sq.mt.
Total					20.80 sq.mt.

7 PODIUM LANDSCAPE			
LA-03	=	745.57	= 745.57 sq.mt.
Total			745.57 sq.mt.

GROSS BUILT UP AREA (Gross BUA)

= Block Area - Cutout - Podium Landscape
= 3926.25 - 20.80 - 745.57
= 3159.88 sq.mt.

NET BUILT UP AREA

= Gross BUA - (Fire Escape Stairs+Balcony)
= 3159.88 - 27.09 - 248.63
= 3159.88 - 275.72
= 2884.16 sq.mt.

FLATS CALCULATION			
LIG A	10	32	Units
LIG B	22		
EWS	18	18	Units
Total		50	Units

SHEET NO 04

TITLE: **FIRST FLOOR PLAN**

DATE: | SCALE: 1:100 | NORTH

PROJECT: CMJAY 2015 (AFFORDABLE HOUSING FOR ALL) (UNDER 3-A PROVISION) Plot no-6, vivekanand nagar yojana, Kota

ARCHITECT: B + D ARCHITECTS, 278, VISHWAKARMA NAGAR MAHARANI FARM, DURGAPURA, JAIPUR-18, PH. NO. 9829990190

OWNER: AKANSHA INFRA-HOUSING PROJECTS

For Akansha Infra Housing Projects — Partner's

ARCHITECT: SHYAM THAKKAR CA/2006/35063

THIS DRG ENCLOSED WITH UIT LETTER NO. F-7/DTP/938-50 DATED 6/8/21

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 18/6/21 में निर्णय के क्रम में मानचित्र अनुमोदित

मानचित्र में दर्शाये अनुसार रैनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का आवश्यक रूप से निर्माण किया जाना होगा।

स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया गया निर्माण कार्य अवैध माना जावेगा।

मानचित्र अनुमोदित

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान 3-A के अन्तर्गत स्थानीय परियोजना अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18/06/2021 के निर्णय अनुसार वर्तमान में B + S_1 + S_2 + 8 मंजिल व 28.5 मीटर ऊंचाई में (अधिकतम 30 मीटर) की स्वीकृति कार्यालय पत्र क्रमांक 7/डी.टी.पी./2021/938-50 दिनांक 6/8/21 में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जा रही है।

सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा — उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा — वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा

FACILITY AREA 329.30 SQ.MT.

Typical Floor Plan- 2nd,3rd, 4th, 5th, 6th, 8th, 9th, 10th, 11th, 13th, 14th, 15th, 16th, 18th & 19th Floor

1 BLOCK AREA	
Total =	2929.06 sq.mt.

2 FIRE ESCAPE STAIRCASE					
FS1	=	4.30 X	3.15 X	2 =	27.09 sq.mt.
Total					27.09 sq.mt.

3 STAIRS					
S1	=	4.30 X	3.15 X	4 =	54.18 sq.mt.
Total					54.18 sq.mt.

4 LIFTS					
L1	=	1.85 X	1.85 X	8 =	27.38 sq.mt.
L2	=	2.80 X	1.85 X	2 =	10.36 sq.mt.
Total					37.74 sq.mt.

5 BALCONY					
B1	=	1.07 X	2.64 X	10 =	28.25 sq.mt.
B2	=		6.78 X	10 =	67.80 sq.mt.
B3	=	2.90 X	1.50 X	22 =	95.70 sq.mt.
B4	=		3.16 X	18 =	56.88 sq.mt.
Total					248.63 sq.mt.

6 CUT OUT					
C1	=	4.93 X	2.11 X	2 =	20.80 sq.mt.
Total					20.80 sq.mt.

GROSS BUILT UP AREA (Gross BUA)
= Block Area - Cutout
= 2929.06 - 20.80
= 2908.26 sq.mt.

NET BUILT UP AREA
= Gross BUA - (Fire Escape Stairs+Balcony)
= 2908.26 - 27.09 - 248.63
= 2908.26 - 275.72
= 2632.54 sq.mt.

FLATS CALCULATION			
LIG A	10	32	Units
LIG B	22		
EWS	18	18	Units
Total		50	Units

SHEET NO 05

TITLE: **TYPICAL FLOOR PLAN**

DATE: | SCALE: 1:100 | NORTH

PROJECT: CMJAY 2015 (AFFORDABLE HOUSING FOR ALL) (UNDER 3-A PROVISION) Plot no-6, vivekanand nagar yojana, Kota

ARCHITECT: B + D ARCHITECTS, 278, VISHWAKARMA NAGAR MAHARANI FARM, DURGAPURA, JAIPUR-18, PH. NO. 9929990190

OWNER: AKANSHA INFRA-HOUSING PROJECTS — For Akansha Infra Housing Projects, Partners

ARCHITECT:

THIS DRG ENCLOSED WITH UIT LETTER NO. F-7/DTP/939-39 DATED 6/8/21

भवन, मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 18/6/21 में निर्णय के क्रम में मानचित्र अनुमोदित

स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया गया निर्माण कार्य अवैध माना जावेगा।

मानचित्र में दर्शाये अनुसार रैनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का आवश्यक रूप से निर्माण किया जाना होगा।

मानचित्र अनुमोदित

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान 3-A के अन्तर्गत स्थानीय परियोजना अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18/06/2021 के निर्णय अनुसार वर्तमान में $B + S_1 + S_2 + 8$ मंजिल व 28.5 मीटर ऊंचाई में (अधिकतम 30 मीटर) की स्वीकृति कार्यालय पत्र क्रमाक 7/डी.टी.पी./2021 .... दिनांक .... में वर्णित शर्तो के अधीन जारी की जा रही है।

सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा — 9/7/21
उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा
वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा

Typical (Refuge) Floor Plan- 7th, 12th & 17th Floor

1 BLOCK AREA

Total = 3257.07 sq.mt.

2 FIRE ESCAPE STAIRCASE

FS1	=	4.30 X	3.15 X	2 =	27.09 sq.mt.
Total					27.09 sq.mt.

3 STAIRS

S1	=	4.30 X	3.15 X	4 =	54.18 sq.mt.
Total					54.18 sq.mt.

4 LIFTS

L1	=	1.85 X	1.85 X	8 =	27.38 sq.mt.
L2	=	2.80 X	1.85 X	2 =	10.36 sq.mt.
Total					37.74 sq.mt.

5 BALCONY

B1	=	1.07 X	2.64 X	10 =	28.25 sq.mt.
B2	=		6.78 X	10 =	67.80 sq.mt.
B3	=	2.90 X	1.50 X	22 =	95.70 sq.mt.
B4	=		3.16 X	18 =	56.88 sq.mt.
Total					248.63 sq.mt.

6 CUT OUT

C1	=	4.93 X	2.11 X	2 =	20.78 sq.mt.
Total					20.78 sq.mt.

7 REFUGE AREAS

Required = 10 % of Block Area
= 10 % x 3257.07
= 325.71 sq.mt.

Provided

R1	=		119.60	=	119.60 sq.mt.
R2	=	8.83 X	2.48	=	21.84 sq.mt.
R3	=		27.76	=	27.76 sq.mt.
R4	=	3.09 X	2.41	=	7.45 sq.mt.
R5	=		87.41	=	87.41 sq.mt.
R6	=	3.09 X	2.41	=	7.45 sq.mt.
R7	=	8.83 X	2.48	=	21.84 sq.mt.
R8	=		27.76	=	27.76 sq.mt.
R9	=	1.50 X	1.80	=	2.70 sq.mt.
R10	=	1.50 X	1.80	=	2.70 sq.mt.
Total					326.51 sq.mt.
					10.02 %

GROSS BUILT UP AREA (Gross BUA)

= Block Area - Cutout
= 3257.07 - 20.78
= 3236.29 sq.mt.

NET BUILT UP AREA

= Gross BUA - (Fire Escape Stairs+Balcony+Refuge Area)
= 3236.29 - 27.09 - 248.63 - 326.51
= 3236.29 - 602.23
= 2634.06 sq.mt.

FLATS CALCULATION

LIG A	10	32	Units
LIG B	22		
EWS	18	18	Units
Total		50	Units

SHEET NO 06

TITLE: TYPICAL FLOOR PLAN-REFUGE FLOOR 7th,12th &17th FLOOR

DATE: | SCALE: 1:100 | NORTH

PROJECT: CMJAY 2015 (AFFORDABLE HOUSING FOR ALL) (UNDER 3-A PROVISION) Plot no-6, vivekanand nagar yojana, Kota

ARCHITECT: B + D ARCHITECTS, 278, VISHWAKARMA NAGAR MAHARANI FARM, DURGAPURA, JAIPUR-18, PH. NO. 9929990190

OWNER: AKANSHA INFRA-HOUSING PROJECTS

For Akansha Infra Housing Projects — Partners

ARCHITECT: SHYAM THAKKAR CA2006033863

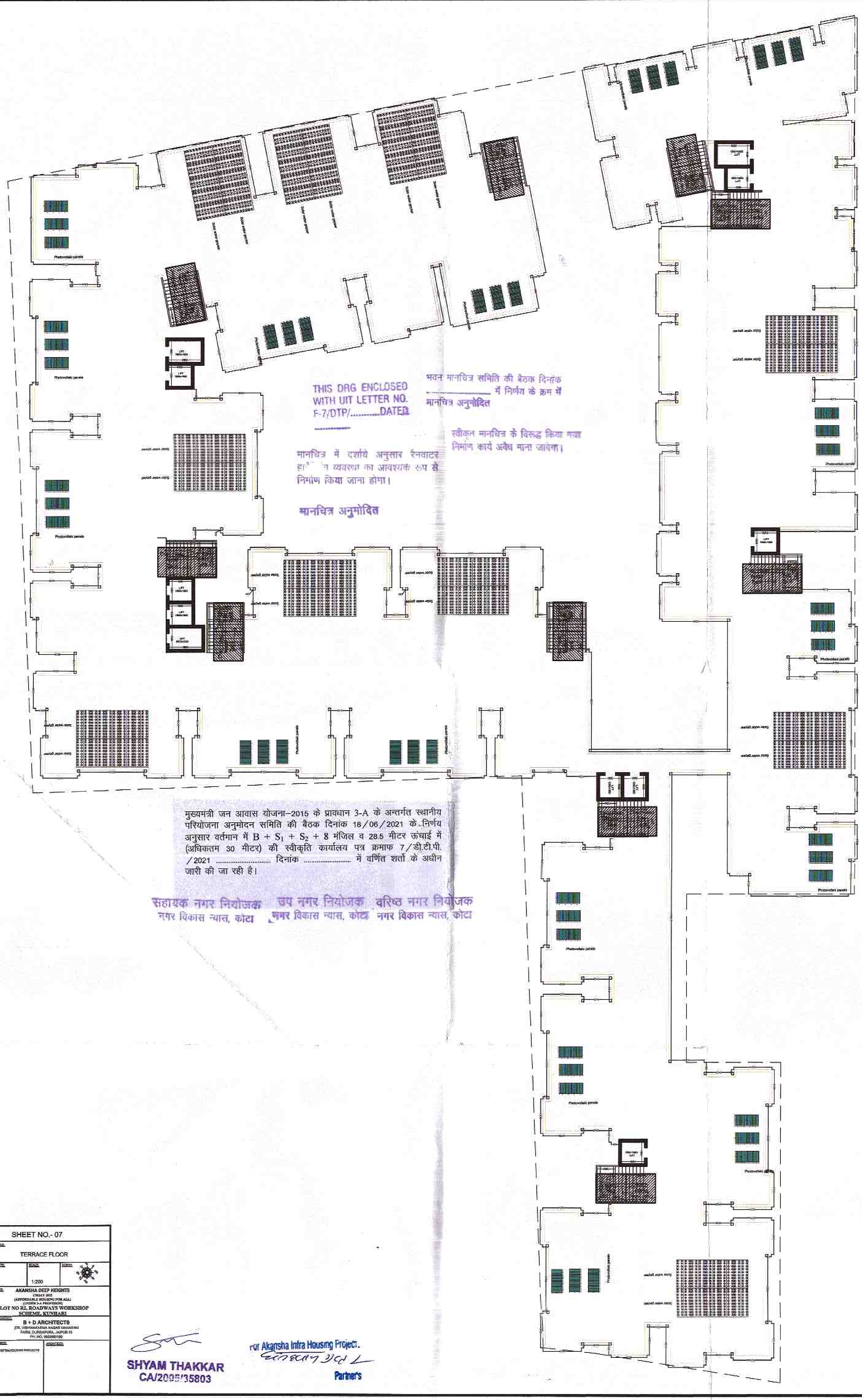

THIS DRG ENCLOSED
WITH UIT LETTER NO.
F-7/DTP/..........DATED

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक
.... में निर्णय के क्रम में
मानचित्र अनुमोदित

स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध किया गया
निर्माण कार्य अवैध माना जावेगा।

मानचित्र में दर्शाये अनुसार रैनवाटर
हार्वे...ग व्यवस्था का आवश्यक रूप से
निर्माण किया जाना होगा।

मानचित्र अनुमोदित

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान 3-A के अन्तर्गत स्थानीय परियोजना अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18/06/2021 के निर्णय अनुसार वर्तमान में B + S_1 + S_2 + 8 मंजिल व 28.5 मीटर ऊंचाई में (अधिकतम 30 मीटर) की स्वीकृति कार्यालय पत्र क्रमांक 7/डी.टी.पी./2021 .... दिनांक .... में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जा रही है।

सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा
उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा
वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा

SHEET NO.- 07

TITLE: TERRACE FLOOR

DATE:

SCALE: 1:200

NORTH:

PROJECT: AKANSHA DEEP HEIGHTS
CMJAY 2015
(AFFORDABLE HOUSING FOR ALL)
(UNDER 3-A PROVISION)
PLOT NO R2, ROADWAYS WORKSHOP
SCHEME, KUNHARI

ARCHITECT: B + D ARCHITECTS
270, VISHWAKARMA NAGAR MAHARANI
FARM, DURGAPURA, JAIPUR-18
PH. NO. 9829980100

OWNER: AKANSHA INFRA HOUSING PROJECTS

ARCHITECT:

SHYAM THAKKAR
CA/2005/35803

For Akansha Infra Housing Project.
Partners

THIS DRG ENCLOSED WITH UIT LETTER NO. F-7/DTP/938-50 DATED 6/8/21

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 18/6/21 में निर्णय के क्रम में मानचित्र अनुमोदित

मानचित्र में दर्शाये अनुसार रैनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का आवश्यक रूप से निर्माण किया जाना होगा।

स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया गया निर्माण कार्य अवैध माना जावेगा।

मानचित्र अनुमोदित

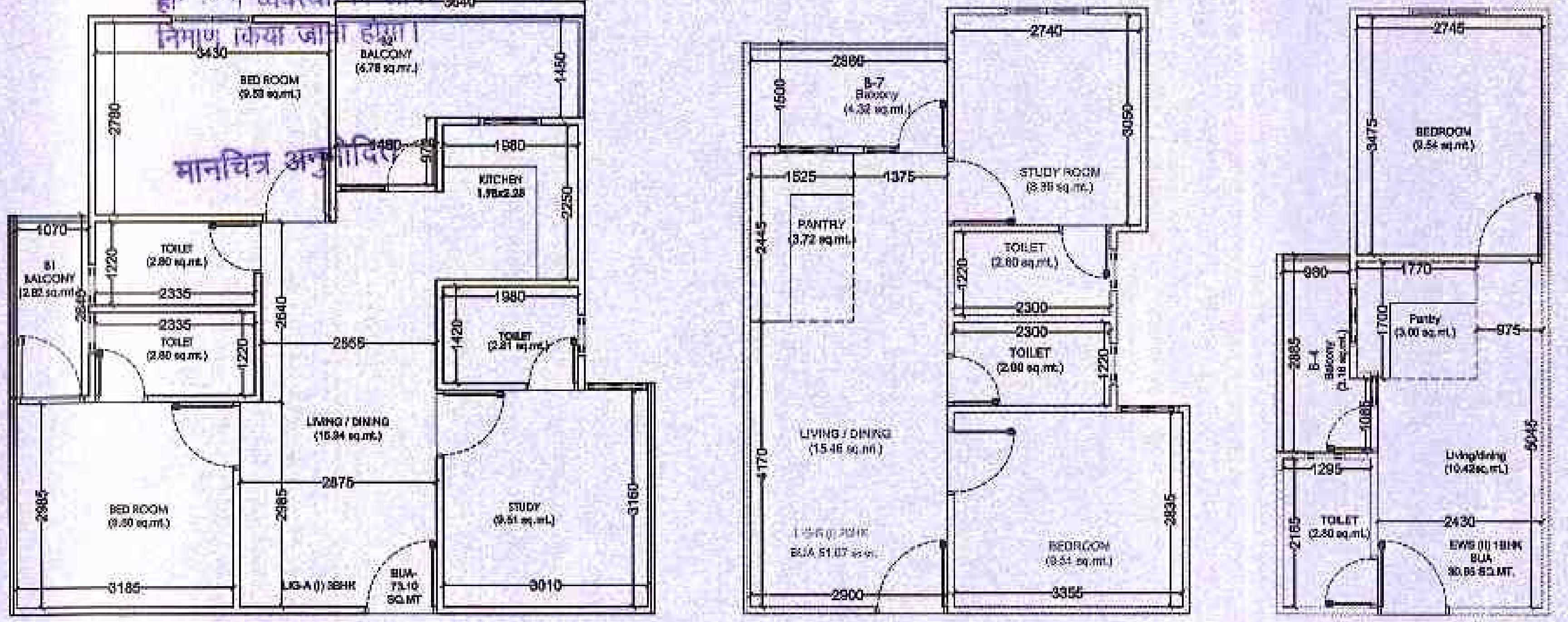

TYPICAL LIG-A (I) UNIT (3 BHK)
SBUA= 1101.60 Sq.ft. = 102.34 sq.mt.
BUA= 786.85 Sq.ft. = 73.10 sq.mt.
Carpet Area = 644.65 Sq.ft. = 59.89sq.mt.

TYPICAL LIG UNIT B (I) (2 BHK)
SBUA= 769.62 Sq.ft. = 71.50 sq.mt.
BUA= 549.71 Sq.ft. = 51.07 sq.mt.
Carpet Area = 473.71 Sq.ft. = 44.01 sq.mt.

TYPICAL EWS UNIT (II) - (1 BHK)
SBUA= 466.40 Sq.ft. = 43.33 sq.mt.
BUA= 333.14 Sq.ft. = 30.95 sq.mt.
Carpet Area = 283.75 Sq.ft. = 26.36sq.mt.

S.No.	Units	SBUA	BUA	Carpet Area	No. of units on 1 Floor	
1	LIG-A UNIT (3-BHK)	102.34 sq.mt.	73.10 sq.mt.	59.89 sq.mt.	10 Nos.	64.0 %
2	LIG-B UNIT (2-BHK)	71.50 sq.mt.	51.07 sq.mt.	44.01 sq.mt.	22 Nos.	
3	EWS UNIT (1 BHK)	44.01 sq.mt.	31.44 sq.mt.	26.22 sq.mt.	18 Nos.	36.0 %
	TOTAL				50 Nos.	100.0 %

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान 3-A के अन्तर्गत स्थानीय परियोजना अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18/06/2021 के निर्णय अनुसार वर्तमान में B + S_1 + S_2 + 8 मंजिल व 28.5 मीटर ऊंचाई में (अधिकतम 30 मीटर) की स्वीकृति कार्यालय पत्र क्रमाफ 7/डी.टी.पी./2021 938-50 दिनांक 6/8/21 में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जा रही है।

SHEET NO 08

TITLE: UNIT PLANS

DATE: | SCALE: 1:100 | NORTH:

PROJECT: DNAY 2015 (AFFORDABLE HOUSING FOR ALL) (UNDER 3-A PROVISION) Plot no-6, vivekanand nagar yojana, Kota

ARCHITECT: B + D ARCHITECTS

OWNER: AKANSHA INFRA-HOUSING PROJECTS

ARCHITECT:

SHYAM THAKKAR
CA/2005/35803

For Akansha Infra Housing Projects
Partner's

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, कोटा

उप नगर नियोजक नगर विकास न्यास, कोटा

वरिष्ठ नगर नियोजक नगर विकास न्यास, कोटा

ELEVATION- A

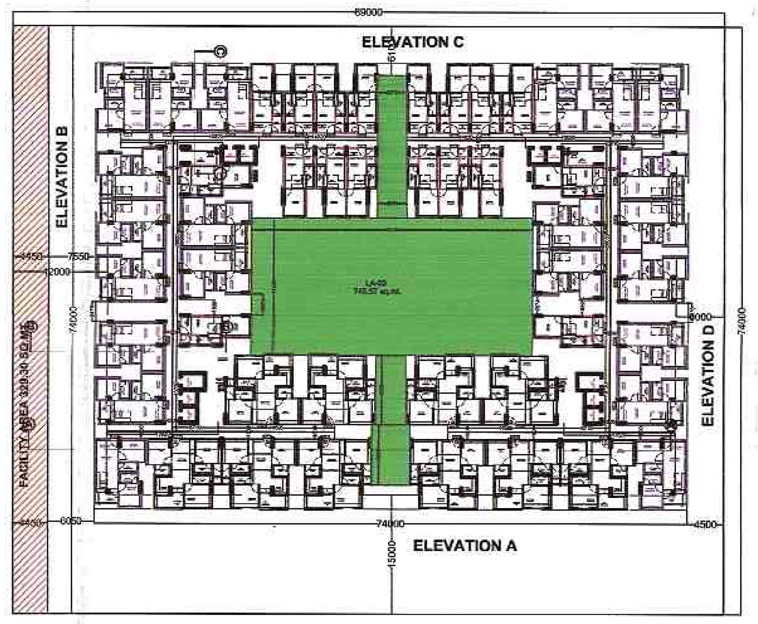

THIS DRG ENCLOSED WITH UIT LETTER NO. F-7/DTP/938-50 DATED 6/8/21

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 18/6/21 में निर्णय के क्रम में मानचित्र अनुमोदित

मानचित्र में दर्शाये अनुसार रैनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का आवश्यक रूप से निर्माण किया जाना होगा।

स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध किया गया निर्माण कार्य अवैध माना जावेगा।

मानचित्र अनुमोदित

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान 3-A के अन्तर्गत स्थानीय परियोजना अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18/06/2021 के निर्णय अनुसार वर्तमान में B + S_1 + S_2 + 8 मंजिल व 28.5 मीटर ऊंचाई में (अधिकतम 30 मीटर) की स्वीकृति कार्यालय पत्र क्रमांक 7/डी.टी.पी./2021 938-50 दिनांक 6/8/21 में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जा रही है।

सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा
उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा
वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा

SHEET NO: 09

TITLE:	ELEVATION- A
DATE:	
SCALE:	1:100
NORTH	N NE E SE S SW W NW
PROJECT:	CMJAY 2015 (AFFORDABLE HOUSING FOR ALL) (UNDER 3-A PROVISION) Plot no-6, vivekanand nagar yojana, Kota
ARCHITECT:	B + D ARCHITECTS 278, VISHWAKARMA NAGAR MAHARANI FARM, DURGAPURA, JAIPUR-18 PH. NO. 9929990190
OWNER:	AKANSHA INFRA-HOUSING PROJECTS
ARCHITECT:	SHYAM THAKKAR CA/2005/35803

For Akansha Infra Housing Project
Partners

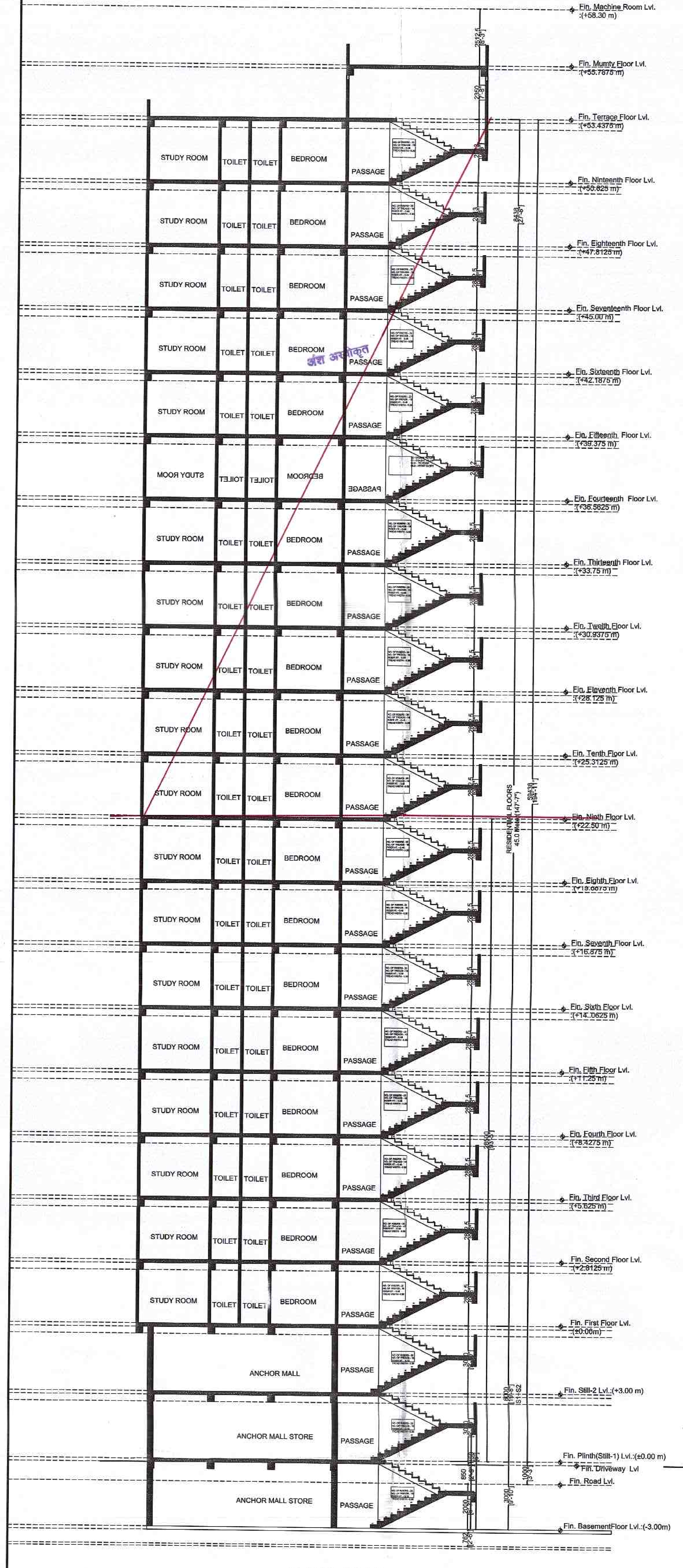

SECTION AA

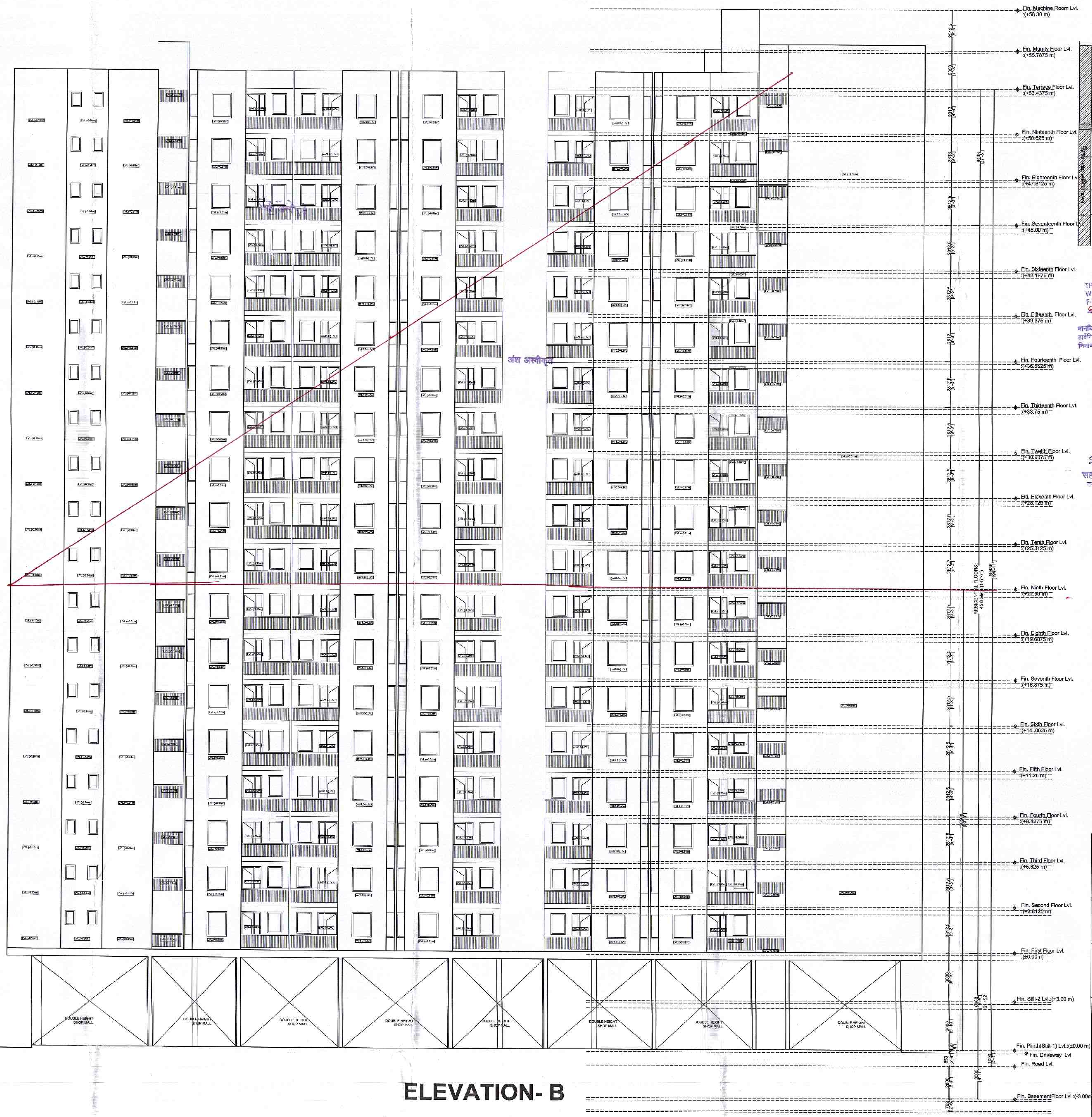

ELEVATION- B

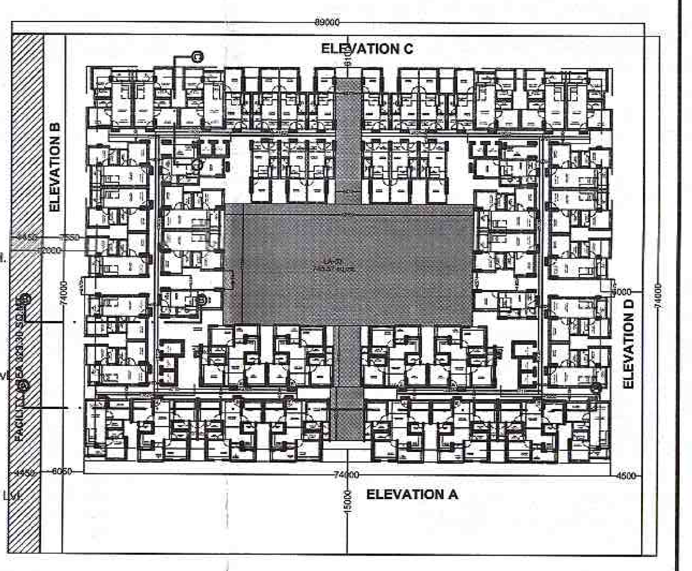

THIS DRG ENCLOSED WITH UIT LETTER NO. F-7/DTP/938-50 DATED 6/8/21

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 18/6/21 में निर्णय के क्रम में मानचित्र अनुमोदित

मानचित्र में दर्शाये अनुसार रैनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का आवश्यक रूप से निर्माण किया जाना होगा।

स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया गया निर्माण कार्य अवैध माना जावेगा।

मानचित्र अनुमोदित

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान 3-A के अन्तर्गत स्थानीय परियोजना अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18/06/2021 के निर्णय अनुसार वर्तमान में $B + S_1 + S_2 + 8$ मंजिल व 28.5 मीटर ऊंचाई में (अधिकतम 30 मीटर) की स्वीकृति कार्यालय पत्र क्रमांक 7/डी.टी.पी./2021 938-50 दिनांक 6/8/21 में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जा रही है।

9/7/21
सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

उप नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

अंश अस्वीकृत

SHEET NO 10

TITLE: **ELEVATION-B & SECTION BB**

DATE:	SCALE:	NORTH
	1:100	N NE E SE S SW W NW

PROJECT:
CMJAY 2015
(AFFORDABLE HOUSING FOR ALL)
(UNDER 3-A PROVISION)
Plot no-6, vivekanand nagar yojana, Kota

ARCHITECT:
B + D ARCHITECTS
278, VISHWAKARMA NAGAR MAHARANI FARM, DURGAPURA, JAIPUR-18
PH. NO. 9929990190

OWNER:
AKANSHA INFRA-HOUSING PROJECTS
For Akansha Infra Housing Projects
Partners

ARCHITECT:
SHYAM THAKKAR
CA/2005/35803

ELEVATION- C

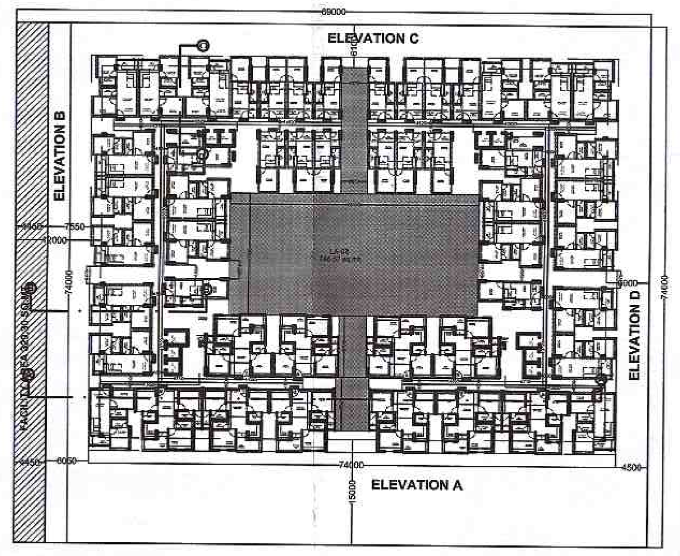

THIS DRG ENCLOSED WITH UIT LETTER NO. F-7/DTP/938-50 DATED 6/8/21

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 18/6/21 में निर्णय के क्रम में मानचित्र अनुमोदित

मानचित्र में दर्शाये अनुसार रैनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का आवश्यक से निर्माण किया जाना होगा।

स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध किया गया निर्माण कार्य अवैध माना जावेगा।

मानचित्र अनुमोदित

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान 3-A के अन्तर्गत स्थानीय परियोजना अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18/06/2021 के निर्णय अनुसार वर्तमान में $B + S_1 + S_2 + 8$ मंजिल व 28.5 मीटर ऊंचाई में (अधिकतम 30 मीटर) की स्वीकृति कार्यालय पत्र क्रमाक 7/डी.टी.पी./2021 938-50 दिनांक 6/8/21 में वर्णित शर्तो के अधीन जारी की जा रही है।

सहायक नगर नियोजक	उप नगर नियोजक	वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा	नगर विकास न्यास, कोटा	नगर विकास न्यास, कोटा

SHEET NO 11

TITLE: **ELEVATION- C**

DATE:	SCALE:	NORTH
	1:100	N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

PROJECT:
CMJAY 2015
(AFFORDABLE HOUSING FOR ALL)
(UNDER 3-A PROVISION)
Plot no-6, vivekanand nagar yojana, Kota

ARCHITECT:
B + D ARCHITECTS
278, VISHWAKARMA NAGAR MAHARANI FARM, DURGAPURA, JAIPUR-18
PH. NO. 9929990190

OWNER:
AKANSHA INFRA-HOUSING PROJECTS

For Akansha Infra Housing Projects
Partners

ARCHITECT:
SHYAM THAKKAR
CA/2006/38865

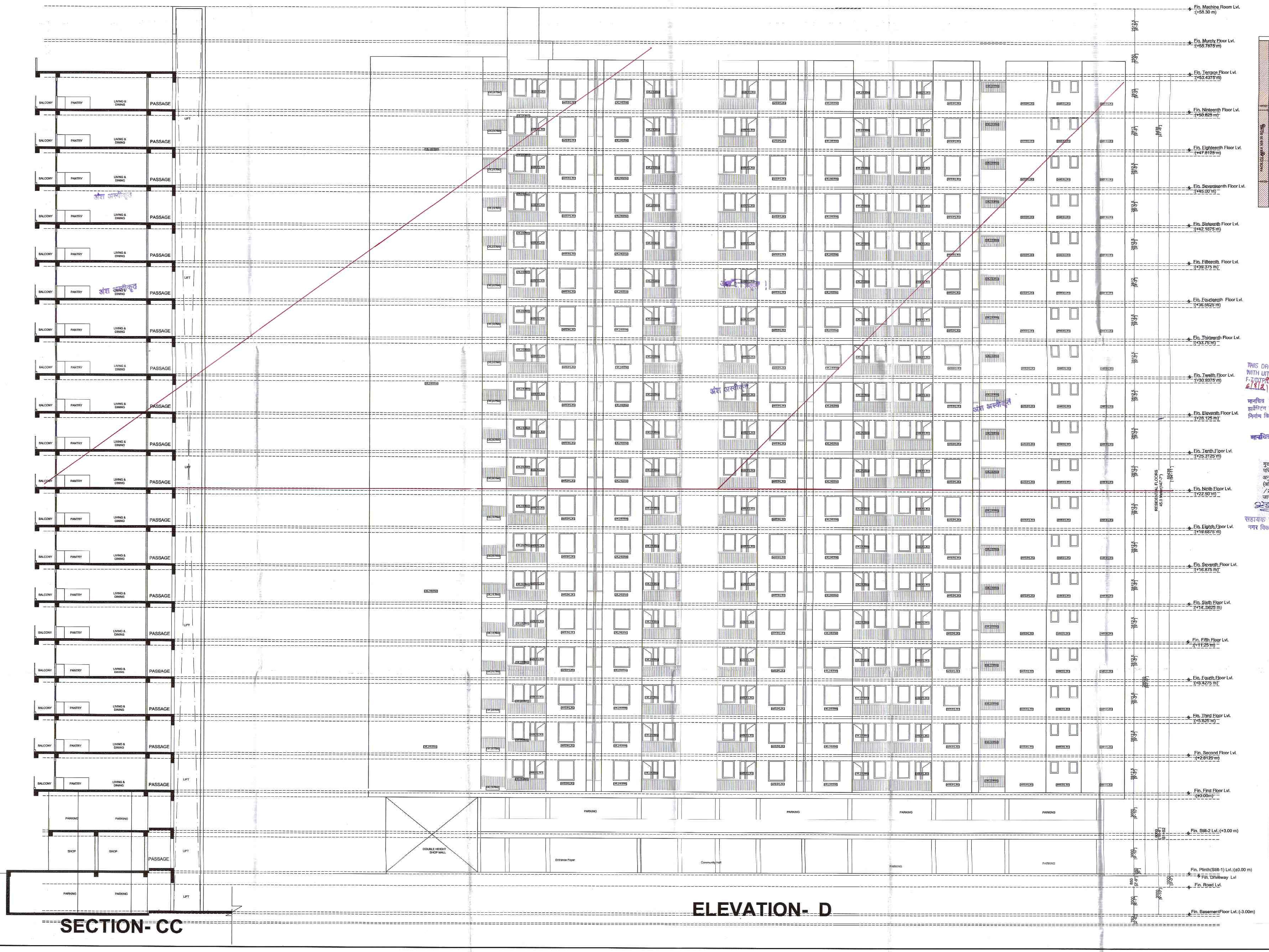

THIS DRG ENCLOSED WITH UIT LETTER NO. F-7/DTP/938-50 DATED 6/8/21

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 18/6/21 में निर्णय के क्रम में मानचित्र अनुमोदित

मानचित्र में दर्शाये अनुसार रैनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का आवश्यक रूप से निर्माण किया जाना होगा।

स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया गया निर्माण कार्य अवैध माना जावेगा।

मानचित्र अनुमोदित

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान 3-A के अन्तर्गत स्थानीय परियोजना अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18/06/2021 के निर्णय अनुसार वर्तमान में $B + S_1 + S_2 + 8$ मंजिल व 28.5 मीटर ऊंचाई में (अधिकतम 30 मीटर) की स्वीकृति कार्यालय पत्र क्रमाफ 7/डी.टी.पी./2021 938-50 दिनांक 6/8/21 में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जा रही है।

9/7/21

सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा | उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा | वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा

SHEET NO 12

TITLE: ELEVATION-D & SECTION CC

DATE:	SCALE: 1:100	NORTH

PROJECT: CMJAY 2015 (AFFORDABLE HOUSING FOR ALL) (UNDER 3-A PROVISION) Plot no-6, vivekanand nagar yojana, Kota

ARCHITECT: B + D ARCHITECTS, 278, VISHWAKARMA NAGAR MAHARANI FARM, DURGAPURA, JAIPUR-18, PH. NO. 9929990190

OWNER: AKANSHA INFRA-HOUSING PROJECTS

For Akansha Infra Housing Projects
Partners

ARCHITECT: SHYAM THAKKAR CA/2005/35803

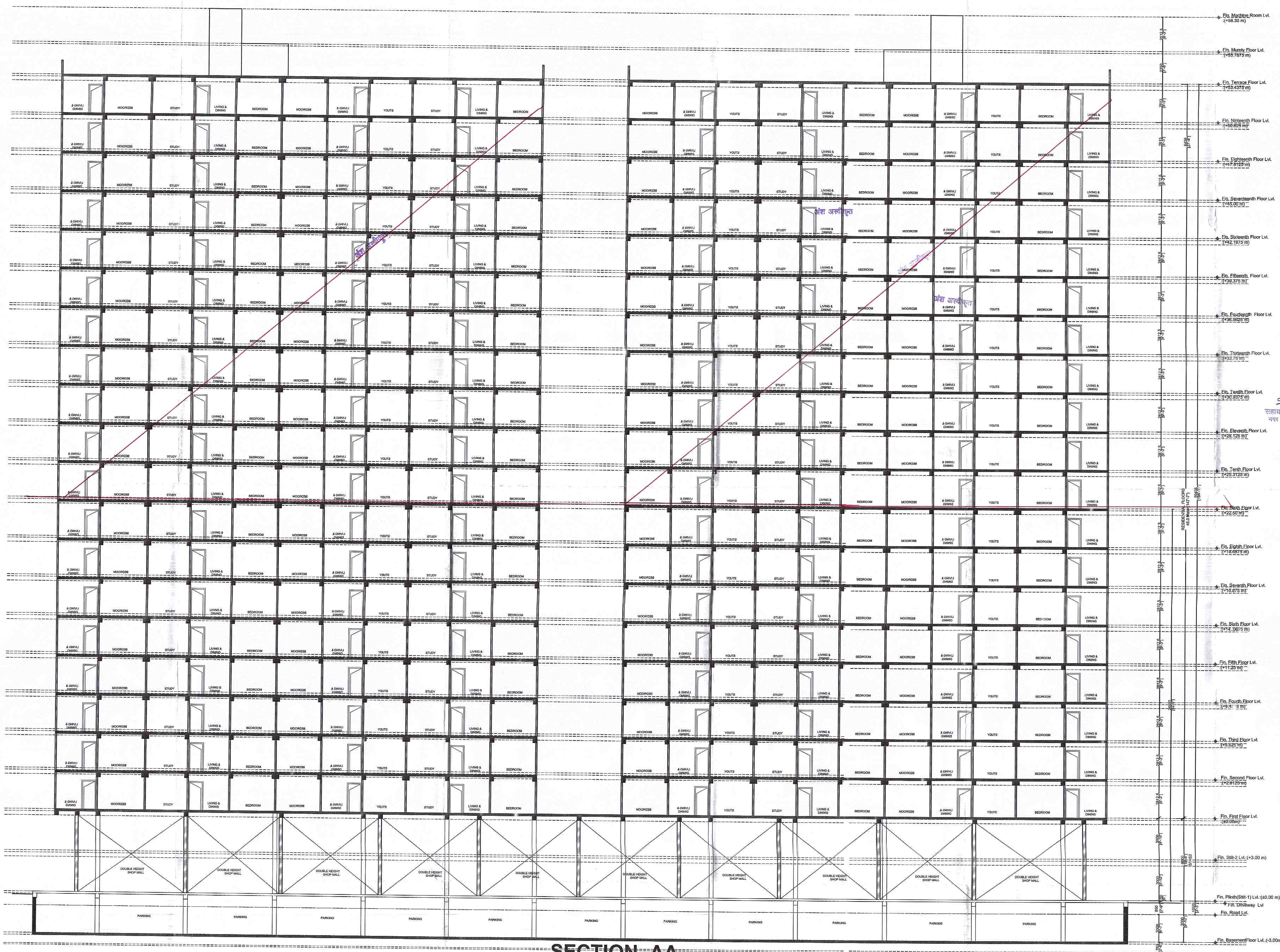

SECTION- AA

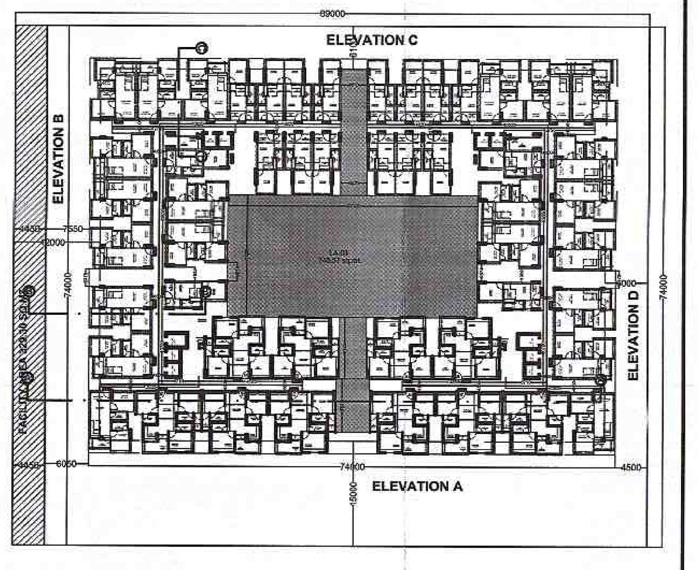

THIS DRG ENCLOSED WITH UIT LETTER NO. F-7/DTP/938-50 DATED 6/8/21

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 18/6/21 में निर्णय के क्रम में मानचित्र अनुमोदित

मानचित्र में दर्शाये अनुसार रैनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का आवश्यक रूप से निर्माण किया जाना होगा।

स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया गया निर्माण कार्य अवैध माना जावेगा।

मानचित्र अनुमोदित

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान 3-A के अन्तर्गत स्थानीय परियोजना अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18/06/2021 के निर्णय अनुसार वर्तमान में $B + S_1 + S_2 + 8$ मंजिल व 28.5 मीटर ऊंचाई में (अधिकतम 30 मीटर) की स्वीकृति कार्यालय पत्र क्रमांक 7/डी.टी.पी./2021 938-50 दिनांक 6/8/21 में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जा रही है।

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, कोटा	उप नगर नियोजक नगर विकास न्यास, कोटा	वरिष्ठ नगर नियोजक नगर विकास न्यास, कोटा

SHEET NO 13

TITLE:

SECTION- AA

DATE:	SCALE:	NORTH
	1:100	NW N NE W E SW S SE

PROJECT:

CMJAY 2015
(AFFORDABLE HOUSING FOR ALL)
(UNDER 3-A PROVISION)
Plot no-6, vivekanand nagar yojana, Kota

ARCHITECT:

B + D ARCHITECTS
278, VISHWAKARMA NAGAR MAHARANI
FARM, DURGAPURA, JAIPUR-18
PH. NO. 9929990190

OWNER:	ARCHITECT:
AKANSHA INFRA-HOUSING PROJECTS For Akansha Infra Housing Projects Partners	SHYAM THAKKAR CA/2005/35803 S THAKKAR